रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1985/ज्येष्ठ 11, 1907
No. 229] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1985/JYAISTHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मई, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 472 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 है।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है ;

(2) "प्ररूप" से इन नियमों में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है;

(3) "निधि" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि अभिप्रेत है ;

(4) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(5) "अनुसूची" से इन नियमों से अनुलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(6) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

बोर्ड और समिति का गठन

3. बोर्ड का गठन.—बोर्ड का गठन निम्नलिखित 21 सदस्यों से मिलकर होगा :—

(क) निर्माण और आवास का केन्द्रीय मंत्री जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ख) हरियाणा का मुख्य मंत्री;

(ग) राजस्थान का मुख्य मंत्री;

(घ) उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री;

(ङ) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक ;

(च) (i) दो सदस्य (जिन्हें हरियाणा राज्य की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);

(ii) दो सदस्य (जिन्हें राजस्थान राज्य की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);

(iii) दो सदस्य (जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);

(iv) दो सदस्य (जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);

(छ) (i) सचिव भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय;

(ii) सचिव, भारत सरकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;

(iii) एक सदस्य जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नगर योजना में ज्ञान और अनुभव है, जिसे सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ज) बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव जिसे भारत सरकार के संयुक्त सचिव की या उसके ऊपर की पंक्ति के अधिकारियों में से सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(झ) चार अन्य सदस्य जिन्हें बोर्ड के कृत्यों और शक्तियों से सुसंगत उनके ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

4. बोर्ड के सदस्यों की अवधि—बोर्ड का प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता सरकार के प्रसाद पर्यन्त धारण करेगा। नियम 3 के खण्ड (च), खण्ड (छ) खण्ड (ज) और खण्ड (झ) के अधीन नामनिर्देशित बोर्ड के सदस्य पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि सरकार द्वारा नये नामनिर्देशन अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं या सरकार, किसी अधिसूचना द्वारा किसी सदस्य के नामनिर्देशन को वापस नहीं ले लेती है; परन्तु खण्ड (च) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की दशा में; उन्हें यथास्थिति, सम्बद्ध भाग लेने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाएगा।

5. निरर्हता—कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उस का सदस्य नहीं बना रहेगा :

(क) यदि वह विकृतचित्त है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है ;

(घ) यदि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के विकास के किसी कारोबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है।

6. त्यागपत्र—नियम 3 के खण्ड (च), खण्ड (छ) के उपखण्ड (iii) और खण्ड (i) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य अपनी सदस्यता से अध्यक्ष को इस आशय की एक सूचना देकर त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से जब वह सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, प्रभावी होगा।

7. रिक्तियां—जहां किसी सदस्य के त्यागपत्र, नि)ि, मृत्यु, हटाए जाने या अन्यथा के कारण पद में कोई रिक्ति होती है, वहां वह रिक्ति ऐसी रिक्ति होने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

8. सदस्य सचिव की सेवा की शर्तें—सदस्य सचिव के वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

9. गैर सरकारी सदस्यों को फीस और भत्ते — (1) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के प्रत्येक दिन के वास्तविक अधिवेशन के लिए ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) गैर-सरकारी सदस्य ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब वह यथास्थिति बोर्ड या समिति के कार्य में लगे हुए हैं सरकारी सेवकों को लागू नियमों के अधीन पहली श्रेणी के किसी सरकारी सेवक को अनुज्ञेय उच्चतर दर पर यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

10. योजना समिति का गठन—योजना समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा :—

(क) बोर्ड का सदस्य सचिव जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) संयुक्त सचिव भारत सरकार निर्माण और आवास मंत्रालय। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से संबंधित कार्य के संबंध में कार्यवाही कर रहा है;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से संबंधित कार्य का भार साधक प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का सचिव;

(घ) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ;

(ङ) मुख्य योजनाकार, नगर और ग्राम योजना संगठन नई दिल्ली; और

(च) प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य का यथास्थिति, निदेशक, नगर और ग्राम योजना या मुख्य नगर योजनाकार ।

अध्याय 3

कामकाज का संचालन

11. बोर्ड के अधिवेशन—(1) बोर्ड साधारणतया कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार और ऐसे अन्य समयों पर भी अपना अधिवेशन करेगा जिसके लिए अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन विशेष रूप से बुलाया जाए ।

(2) कोई अधिवेशन अगली या किसी पश्चात्वर्ती तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और स्थगित अधिवेशन की ऐसी ही रीति में और आगे स्थगित किया जा सकेगा ।

12. अधिवेशन और कामकाज की सूचना—साधारण अधिवेशन की कम से कम 15 दिन की सूचना और किसी विशेष अधिवेशन की कम से कम सात दिन की सूचना, जिसमें वह समय और स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब ऐसे किसी अधिवेशन का आयोजन किया जाना है, सदस्यों को दी जाएगी । साधारण अधिवेशन की दशा में, अधिवेशन में संचालित किए जाने वाला कामकाज अधिवेशन के कम से कम 7 दिन पूर्व सदस्यों को भेजा जाएगा और किसी विशेष अधिवेशन की दशा में संचालित किए जाने वाले कामकाज का उल्लेख अधिवेशन की सूचना के साथ-साथ किया जाएगा ।

13. अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिये मदों का सम्मिलित किया जाना—(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जो किसी मद को बोर्ड के किसी अधिवेशन की कार्य-सूची में सम्मिलित कराने का इच्छुक है, उसे अधिवेशन की तारीख के कम से कम 15 दिन पूर्व सदस्य-सचिव को भेजेगा ।

(2) केवल ऐसी मदों को जो अध्यक्ष द्वारा सम्मिलित किए जाने के लिए अनुमोदित कर दी जाती हैं, कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाएगा ।

14. गणपूर्ति—किसी अधिवेशन में कोई भी कामकाज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों । यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, तो सभापतित्व करने वाला प्राधिकारी, 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् अधिवेशन को उसी दिन या अगले दिन किसी अन्य दिन को ऐसे समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे स्थगन की सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी और वह कामकाज जो मूल अधिवेशन के समक्ष उस दशा में प्रस्तुत किया जाना था, जब वहां गणपूर्ति होती, स्थगित अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और गणपूर्ति पर विचार किए बिना उसका निपटारा किया जाएगा ।

15. सभापतित्व करने वाला अधिकारी (1) अध्यक्ष जब वह उपस्थित होगा, बोर्ड के अधिवेशनों में सभापतित्व करेगा ।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य स्वयं सदस्यों में से अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला एक सदस्य निर्वाचित करेंगे ।

(3) अध्यक्ष या यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन का सभापतित्व करने के प्रयोजन के लिये निर्वाचित सदस्य को मत बराबर होने के सभी मामलों में निर्णायक मत का अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

16. मतदान—नियमों के अधीन जो अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विषयों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

17. कार्यवाहियों का कार्यवृत्त—उपस्थित सदस्यों के नाम और अधिवेशन की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिये प्रदान की गई एक पुस्तक में रखी जाएंगी, जिसमें ऐसे अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी ।

18. सदस्यों द्वारा ऐसे विषयों पर मतदान न किया जाना जिनमें वे व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं—बोर्ड का कोई सदस्य, बोर्ड के अधिवेशन में लाए गए किसी ऐसे प्रश्न पर मतदान नहीं करेगा या विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि वह प्रश्न ऐसा है जिसमें उसका, इसके आम जनता को साधारणतया लागू होने के अलावा, अपने लिए या अपने संबंधियों के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है ।

19. अधिवेशनों का संचालन—(1) साधारण अधिवेशन :– साधारण अधिवेशनों में कामकाज का संचालन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा :–

(क) पूर्व साधारण अधिवेशन के और ऐसे साधारण अधिवेशन के पश्चात् आयोजित किसी विशेष अधिवेशन के कार्यवृत्त पढ़े जाएंगे और उनकी पुष्टि की जाएगी ।

(ख) तब ऐसे पूर्व अधिवेशन में स्थगित कामकाज पर विचार किया जाएगा ;

(ग) कार्य-सूची में सम्मिलित विषयों पर तत्पश्चात् विचार किया जाएगा;

(घ) किसी अन्य मदों पर भी विचार किया जा सकेगा, यदि सभापतित्व करने वाले अधिकारी ने अनुमति प्रदान कर दी हो ।

(2) विशेष अधिवेशन—केवल ऐसे विशेष अधिवेशन में ऐसे कामकाज पर, जिस पर विचार करने के प्रयोजन के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, विचार किया जाएगा ।

20. व्यवस्था के प्रश्न—व्यवस्था के सभी प्रश्न सभापतित्व करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे विचार विमर्श से या उसके बिना विनिश्चित किये जायेंगे जो वह ठीक समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय 4

प्रशासन

21. सदस्य-सचिव—सदस्य-सचिव बोर्ड के कार्यालय का मुख्य कार्यपालक होगा और बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी सदस्य-सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

22. आदेशों का अधिप्रमाणीकरण—बोर्ड द्वारा पारित सभी आदेश, दिए गए सभी अनुमोदन, की गई नियुक्ति, सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से संसूचित की जायेंगी।

अध्याय 5

प्रारूप और अन्तिम क्षेत्रीय योजना के प्रकाशन के लिए प्रक्रिया।

23. धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन सूचना का प्ररूप—प्रारूप क्षेत्रीय योजना तैयार होने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात्, बोर्ड प्ररूप "क" में एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें प्रारूप क्षेत्रीय योजना के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

24. सूचना की रीति—बोर्ड प्ररूप "क" में एक सूचना दिल्ली से प्रकाशित दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में और प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य की राज्य राजधानी के दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करायेगा।

25. स्थानीय प्राधिकरण को सूचना—बोर्ड नियम 23 में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवायेगा और ऐसा स्थानीय प्राधिकरण, ऐसी सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप क्षेत्रीय योजना के संबंध में कोई अभ्यावेदन बोर्ड को करेगा।

26. धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन सूचना—नियम 23 से 25 के उपबंध अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन जारी की गई सूचना को, जहां तक हो सके लागू होंगे।

27. धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचना—बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप दिये जाने के यथाशक्यशीघ्र पश्चात्, प्ररूप "ख" में एक सूचना भारत सरकार के राजपत्र में और दिल्ली से प्रकाशित दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों में भी तथा भाग लेने वाले राज्यों की प्रत्येक राज्य राजधानी के दो स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिसमें यह कथन होगा कि अंतिम क्षेत्रीय योजना [illegible] के लिये उपलब्ध है।

अध्याय 6

बजट, लेखा और संपरीक्षा

28. बजट प्राक्कलन का प्ररूप—(1) आगामी वर्ष की बाबत बजट जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जायेंगे, प्ररूप "ग", "घ", "ङ" और "च" में तैयार किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक सरकार को भेज दिया जायेगा।

(2) ऐसे प्राक्कलनों के साथ चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी संलग्न होंगे।

(3) बजट, अनुसूची 1 में दिये गये लेखे शीर्षों पर आधारित होगा।

(4) बजट दो भागों में होगा, एक भाग राजस्व से और दूसरा पूंजी से संबंधित होगा।

29. बोर्ड को बजट प्राक्कलनों का प्रस्तुत किया जाना—(1) नियम 28(1) के अनुसार यथासंकलित बजट प्राक्कलन सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के पहले सप्ताह तक अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) बोर्ड द्वारा बजट प्राक्कलनों के अनुमोदन के पश्चात् अंतिम बजट प्रस्तावों की पांच प्रतियां जिसमें ऐसे उपान्तरणों का जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये गये हैं, समावेश करके, प्रत्येक वर्ष अक्तूबर की पन्द्रह तक सरकार को भेजी जायेंगी।

30. स्थापन व्यय और नियत आवर्ती प्रभारों का प्राक्कलन—नियत स्थापन पर व्यय का प्राक्कलन जिसके अन्तर्गत अवकाश वेतन और पेंशन अभिदाय तथा किराया, भत्ते आदि के मद्दे नियत मासिक आवर्ती प्रभार भी है, किसी प्रकार की कटौती के बिना कुल मंजूर किये गये वेतन का उपबंध करेगा।

31. पुनर्विनियोग और अतिशीघ्र व्यय—ऐसा कोई व्यय जो अनुमोदित बजट प्राक्कलन में किसी उपबंध के अन्तर्गत नहीं आता है या जिसके किसी शीर्ष के अधीन उपबंधित रकम से अधिक होने की संभावना है, बोर्ड द्वारा किसी अन्य शीर्ष के अधीन जिसके अधीन बचतपूर्ण रूप से स्थापित की गई है और उपलब्ध है, पुनर्विनियोग द्वारा कोई उपबंध किए बिना उपगत, नहीं किया जायेगा :

परन्तु बचत का कोई पुनर्विनियोग राजस्व से पूंजी में और पूंजी से राजस्व में अनुज्ञात नहीं होगा।

32. बोर्ड के लेखाओं का खोला जाना और उसकी निधि का प्रवर्तन—बोर्ड की निधि भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में चालू खाते में जिसे "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड" के नाम से खोला जाएगा, रखी जाएगी और वह लेखा बोर्ड के सदस्य सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा

33. लेखा और संपरीक्षा—(1) बोर्ड, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अनुदानों और उधारों, धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त धन-राशियों और धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन प्राप्त धनराशियों की बाबत बोर्ड के लेखाओं को पृथक रूप से बनाए रखेगा। लेखाओं के प्ररूप सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में, जो सरकार द्वारा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किया जाए, होगा।

(3) लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी। तथापि भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक अपनी ओर से संपरीक्षा करने के लिए किसी प्रमुख लेखापरीक्षक की नियुक्ति का सुझाव दे सकेगा और तदुपरि ऐसा मुख्य लेखापरीक्षक नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों और मार्गदर्शनों के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा करेगा।

34. सहायता अनुदान—बोर्ड में भाग न लेने वाली राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या ऐसी राज्य सरकारों को जिनमें प्रत्याकर्षण क्षेत्र है और स्थानीय प्राधिकरण नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या संबंधित अन्य राज्य सरकार के ऐसे अन्य राज्य प्राधिकरणों को उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजनाओं प्लानों के कार्यान्वयन के लिए या प्रत्या-कर्षण क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान मंजूर कर सकेगा।

35. सहायता अनुदान मंजूर करने के लिए प्रक्रिया—(1) (क) जब तक कि किसी मामले में बोर्ड अन्यथा निर्देशित नहीं करता है, अनुदान मंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश यह उपदर्शित करेगा कि क्या वह आवर्ती या अना-वर्ती प्रकार का है और स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को विनि-र्दिष्ट करेगा जिसके लिए वह दिया गया है और उस अनुदान के साथ लगाई गई शर्तें यदि कोई हों, का भी विनिर्देश किया जाएगा। विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनावर्ती अनु-दानों की दशा में आदेश उस समय-सीमा को भी विनि-र्दिष्ट करेगा जिसके अंतर्गत अनुदान या उसकी प्रत्येक किस्त खर्च की जानी है।

(ख) सहायता अनुदान के संदाय के लिए आदेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि किसी विनिर्दिष्ट राशि के संदाय के लिए उसमें विनिर्दिष्ट निदेश हों और वह अनुदान सहायता अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले आदेश से सुभिन्न होना चाहिए।

2(क) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उतना अनु-दान संदत्त किया जाएगा जितना उस वर्ष के दौरान खर्च किया जाना संभाव्य है। विनिर्दिष्ट निर्माण या सेवाओं जैसे भवनों, जल प्रदाय स्कीमों और वैसे ही अन्य कार्यों के लिए अनुदानों की दशा में संदाय कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्राधिकृत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रकम अपेक्षाओं के अधिक रूप में नहीं निकाली जाती है। इन अनुदानों के संदाय के लिए मार्च के माह में भीड़ से बचा जाना चाहिए।

(ख) जहां सहायता अनुदान के अंतर्गत एक समय में किया जाने वाला संदाय अंतर्वलित हो वहां वह जहां तक संभव हो दिसम्बर के अंत से पूर्व संदाय कर दिया जाना चाहिए। किसी अन्य दशा में, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ऐसे अनुदानों के संदाय के लिए भीड़ से बचा जाना चाहिए।

(3) किसी स्थानीय प्राधिकरण, नगर विकास प्राधि-करण, आवास बोर्ड या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को अनुदान संदत्त किए जाने से पूर्व बोर्ड, संबंधित प्राधिकरण के लेखाओं के संपरीक्षित विवरणों की निम्नलिखित प्रतियां यह देखने के लिए अभि-प्राप्त करेगा कि सहायता अनुदान प्राप्तिकर्ता की वित्तीय स्थिति द्वारा न्यायोचित है और यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व अनुदान, यदि कोई हो, का खर्च उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था जिनके लिए वे आशयित थे :—

(i) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राप्ति और संदाय लेखे ;

(ii) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के आय और व्यय लेखे; और

(iii) पूर्ण वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण के लिए तुलन-पत्र, यदि कोई है।

36. उपयोग का प्रमाणपत्र—ऐसे मामलों में जिनमें स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को मंजूर किए गए अनुदानों के उपयोग के साथ व्यय के विशेष अद्देश्यों के विनिर्देश के रूप में या उस समय के रूप में जिसके भीतर धन खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा कोई शर्त लगा दी गई है, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बोर्ड को जहां आवश्यक हो, अनुदान के साथ लगी शर्तों का पालन प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा।

37. सहायता अनुदान की शर्तें—(1) जब तक कि बोर्ड द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए, किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान निम्नलिखित विवक्षित शर्तों के अधीन है :—

(i) यह कि अनुदान एक युक्तियुक्त समय के भीतर उद्देश्य पर खर्च किया जाएगा यदि उसके लिए बोर्ड द्वारा कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है ;

(ii) यह कि रकम का कोई भाग जो उस उद्देश्य पर व्यय के लिए अंततः अपेक्षित नहीं है, बोर्ड को सम्यक् रूप से वापस लौटा दिया जाएगा।

(2) बोर्ड, उस रीति की बाबत जिसमें प्राप्तिकर्ता निकाय के क्रियाकलापों का प्रबन्ध किया जाता है और अनुदानों का उपयोग किया जाता है, अपना समाधान करने के लिए, बोर्ड से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा करने की अपेक्षा कर सकेगा।

38. उधार—बोर्ड, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरण, आवास बोर्डों या यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को जो उप-क्षेत्रीय योजनाओं, परियोजना प्लानों को कार्यान्वित कर रहे हैं या किसी प्रत्याकर्षण क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, उधार मंजूर कर सकेगा।

39. उधार की शर्तें (1) उधारों की सभी मंजूरियों में ऐसे निबन्धन और शर्तें जिसके अंतर्गत पुर्नसंदाय और ब्याज के संदाय के निबंधन और शर्तें भी हैं, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) उधार लेने वालों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे उनको दिए गए उधारों के लिए तय किए गए निबंधनों का सर्वदा पालन करेंगे। उनके पक्ष में किसी निबन्धन का उपांतरण केवल विशेष कारणों से बाद में किया जा सकता है।

40. ब्याज की संगणना—(1) ब्याज ऐसी दर पर जो किसी विशेष उधार के लिए या संबंधित वर्ष के किसी उधार के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभारित की जाएगी और सरकार द्वारा समय-समय पर विहित ब्याज की दर बोर्ड द्वारा आवश्यक रूप से अपनाई जाएगी।

(2) उधार पर ब्याज संदाय के दिन के लिए लगेगा न कि पुर्नसंदाय के दिन के लिए। किसी पूर्ण वर्ष की अपेक्षा में संक्षिप्त कालावधि के लिए, ब्याज निम्न प्रकार संगणित किया जाएगा:—

$$\frac{\text{दिनों की संख्या} \times \text{ब्याज की वार्षिक दर}}{365}$$

जब तक कि संगणना की कोई अन्य पद्धति किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न की जाए।

41. उधार विषयक करार स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधारों की दशा में एक उधार विषयक करार जिसमें सभी निबन्धन और शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएगी, निष्पादित किया जाएगा। ऐसे सभी करारों में अनिवार्य रूप से एक खण्ड अंत : स्थापित किया जाएगा जो बोर्ड को किसी लेखा वर्ष से की लेखा बहियों की निरीक्षण के लिए इस प्रयोजन विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रतिनियु करने की शक्ति हो।

42. उधारों के लिए प्रतिभूति—स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधार केवल समुचित प्रतिभूति के विरुद्ध ही मंजूर किए जाएंगे। ली जाने वाली प्रतिभूति साधारणतया उधार की रकम से कम से कम 33—1/2 प्रतिशत अधिक होगी; परन्तु बोर्ड प्रतिभूति के बदले राज्य की प्रत्याभूति भी प्रतिग्रहीत कर सकेगा।

43. राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जा) (1) उधार के संदाय के लिए आदेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट निदेश हों और वह उधार के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले आदेशों से भिन्न होना चाहिए।

(2) ऐसे मामलों में जहां उधार प्राधिकरणों जैसे स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्ड और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधार मंजूर किया जाता है, जिनमें विशेष उद्देश्य के विनिर्देश के रूप में या उस समय के रूप में जिसके भीतर धन खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा के रूप में उधार के उपयोग के लिए शर्त लगा दी गई है वहां राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उधार के साथ लगी शर्तों के पालन के लिए बोर्ड को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे।

44. किस्तों में संदाय और अधिस्थगन—ज[illegible] उधार किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है तो इस प्रकार ली गई उधार की प्रत्येक किस्त को मूल के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए पृथक उधार के रूप में माना जाएगा सिवाए वहां के जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ली गई पूर्व किस्तों को इस प्रयोजनार्थ उस विशेष वित्तीय वर्ष के अन्त में एकल उधार के रूप में समेकित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है। पश्चात्वर्ती मामले में, विभिन्न उधार की किस्तों पर प्रत्येक किस्त प्राप्त करने की तारीख से लेकर उनके समेकन की तारीख तक विनिर्दिष्ट दर पर साधारण ब्याज उधार लेने वाले द्वारा पृथक रूप से संदेय होगा। यथास्थिति प्रत्येक उधार या समेकित उधार का प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को प्रतिवर्ष उधार लेने वाले द्वारा उधार लेने या उसके समेकन की वार्षिक तारीख को या उससे पूर्व उतनी किस्तों में जितनी बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड उचित मामलों में मूल के प्रतिसंदाय के लिए अधिस्थगन की अनुज्ञा दे सकता है न कि ब्याज के संदाय के लिए यदि यह प्रतीत हो कि किसी उधार की अन्तिम किस्त लेने में उधार लेने वाले की ओर से समुचित विलंब हुआ है तो बोर्ड किसी भी समय

पूंजी के प्रतिसंदाय का आदेश दे सकता है। बोर्ड के लेखाओं का भारसाधक अधिकारी हुए ऐसे किसी वितरण को बोर्ड की दृष्टि में लाएगा जिसके बारे में उसे यह प्रतीत होता हो कि उसे इस उपचार की अपेक्षा है और वह यह कार्यवाई करेगा कि क्या किस्तों के लेने के लिए कोई तारीख नियत की गई है या नहीं।

45. संदाय में व्यतिक्रम—(1) सभी मामलों में उधार मंजूरियों और स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों की दशा में करार के अन्तर्गत अतिशोध्य ब्याज या मूल और ब्याज की किस्तों पर शास्तिक ब्याज के उद्ग्रहण का अनिवार्य रूप से एक उपबंध सम्मिलित किया जाना चाहिये। स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अन्य बोर्डों की दशा में उधार मंजूरियों और करारों के अन्तर्गत ब्याज की अनिवार्य रूप में उच्चतर दर अनुबंधित की जानी चाहिये और नियमित संदायों की दशा में ब्याज की निम्नतर दर का उपबंध किया जाना चाहिये। यथास्थिति, ब्याज की शास्तिक या उच्चतर दर बोर्ड के विशेष आदेशों के अधीन के सिवाय, बोर्ड द्वारा अग्रिम दिये गये उधार के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट ब्याज की सामान्य दर से अधिक 2 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगी।

(2) उधार पर ब्याज के संदाय में या मूल के प्रतिसंदाय में हुए किसी व्यतिक्रम की बोर्ड के लेखाओं के भारसाधक अधिकारी द्वारा तुरन्त रिपोर्ट दी जायेगी।

46. लेखे और नियंत्रण—ऐसे साधारण और विनिर्दिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुए जो नियंत्रक और महा-लेखा-परीक्षक द्वारा दिये जायें, बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों और उधारों के विस्तृत लेखे, लेखाओं के भारसाधक अधिकारी द्वारा बनाये रखे जायेंगे जो उनकी वसूली पर भी निगरानी रखेगा और यह देखेगा कि हर एक उधार के साथ लगाई गई शर्तों का पालन किया गया है।

47. उधारों और अग्रिमों का वार्षिक विवरण—(1) बोर्ड के लेखाओं का भारसाधक अधिकारी बोर्ड को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें "बोर्ड द्वारा उधार और अग्रिम" शीर्षक के अधीन उसकी लेखा बहियों में दर्ज बकाया उधारों के व्यौरे दर्शित किये जायेंगे।

(2) बोर्ड का भारसाधक अधिकारी बोर्ड को एक वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिसमें "बोर्ड द्वारा प्राप्त उधार और अग्रिम" शीर्षक के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त बकाया उधारों के व्यौरे दर्शित किये जायेंगे। विवरण प्ररूप "ङ" में प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय—7

प्रकीर्ण

48. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का प्ररूप और समय—पिछले समाप्त वर्ष की बाबत वार्षिक रिपोर्ट में जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के क्रियाकलापों का सही और पूर्ण लेखा जोखा होगा, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और वह प्रति वर्ष 15 मई तक सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

[सं० के०-14011/15/84-एन०सी०आर०]

आर० एल० प्रदीप, संयुक्त सचिव

प्ररूप क

(नियम 23 देखिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 23 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दी जाती है कि :—

(1)(क) क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(ख) उसकी एक प्रति (————) पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक इसमें इसके पश्चात् पैरा 3 में वर्णित तारीख तक निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

(2) प्रारूप क्षेत्रीय योजना के लिये आक्षेप सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

(3) आक्षेप और सुझाव (————) पर स्थित सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को————तारीख से पूर्व लिखित रूप में भेजे जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव देने वाले किसी व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिये।

स्थान : नई दिल्ली सदस्य सचिव,

तारीख : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

प्ररूप ख

(नियम 27 देखिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 27 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के नियम 13 के उपनियम (1) के अधीन सूचना दी जाती है कि :—

(1)(क) अन्तिम क्षेत्रीय योजना तैयार हो गई है, और

(ख) उसकी एक प्रति (————————) पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

प्ररूप ग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

वर्ष 19 के लिये विस्तृत बजट प्राक्कलन

प्रकाशन (व्यय)

(नियम 28 देखिए)

वास्तविक व्यय की तुलना में पुनरीक्षित प्राक्कलन 19—और बजट प्राक्कलन 19—दर्शित करने वाला विवरण

वेतन, भत्ता भत्ता कार्यालय व्यय आदि जैसे व्यय के उद्देश्य	वास्तविक वर्ष के लिये		मंजूर किये गये बजट अनुदान	अन्तिम वास्तविक आठ मास 19—	चालू वर्ष 19— के पहले पांच मास वास्तविक	वर्ष 19— के शेष सात मासों के लिये अनुमानित व्यय	वर्ष 19— के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन	वर्ष 19— के लिये प्रस्तावित बजट प्राक्कलन	स्तंभ 5, स्तंभ 9 और 9 और 10 के बीच फेर-फार के कारण।
	19—	19—	19—						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप घ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्थापन

वर्ष 19— 19— के लिये अधिकारियों और स्थापनों के वेतन के लिये प्रस्तावित उपबन्ध के ब्यौरों का विवरण।

(नियम 28 देखिए)

नाम और पदाभिधान	प्राक्कलन प्ररूप के पृष्ठ का निर्देश	पद का मंजूर किया गया वेतन		स्तंभ 3(ग) में दर पर वर्ष के लिये उपबन्धित रकम	वर्ष के भीतर देय होने वाली वेतन वृद्धि			वर्ष के लिये कुल उपबन्ध अर्थात् स्तंभ 4 और 4(ग) का योग	टिप्पणी
		न्यूनतम/अधिकतम-यात्रामी वर्ष 1 अप्रैल को सम्बन्धित व्यक्ति को देय वास्तविक वेतन			वेतन वृद्धि की तारीख (क)	वेतन वृद्धि की दर (ख)	वर्ष के लिये वेतन वृद्धि की रकम (ग)		
		(क)	(ख)	(ग)					
1	2	3		4	5			6	7

प्ररूप ङ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

संस्थापित नामावली

(नियम 28 देखिए)

मार्च 19—19/फरवरी 19—19

नाम और पदाभिधान	वेतन	महंगाई भत्ता	नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	मकान किराया भत्ता	प्रतिनियुक्ति भत्ता	बच्चों का शैक्षिक भत्ता	अवकाश यात्रा रियायत	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप च

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नामिक रोल के उद्धरण

(नियम 28 देखिए)

1-3-19 को वास्तविक मंजूर की गई संख्या	पदों की विशिष्टियां	19-19- के लिए मंजूर किया गया बजट अनुदान 19-19		पुनरीक्षित प्राक्कलन 19		बजट प्राक्कलन 19 - 19		मंजूर किए गए बजट, अनुदान, पुनरीक्षित प्राक्कलन और बजट प्राक्कलन के बीच अन्तर के लिए स्पष्टीकरण
		सम्मिलित पदों की संख्या	वेतन और भत्ते	सम्मिलित पदों की संख्या	वेतन और भत्ते	सम्मिलित पदों की संख्या	वेतन और भत्ते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1- अधिकारी,

(क) भरे गए पद

(ख) रिक्त पद

कुल I अधिकारी

2- II स्थापना

(क) भरे गए पद

(ख) रिक्त पद

3- वर्ग-4

(क) भरे गए पद

(ख) रिक्त पद

कुल III और IV

कुल योग [illegible]

प्ररूप 7

[illegible]

बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए उधार/अग्रिमों का विवरण

वित्तीय वर्ष 19

[नियम 17 (1) देखिए]

उधार/अग्रिम प्राप्त करने वाला व्यक्ति/संस्था का नाम	मंजूर किए गए उधार/अग्रिम की रकम	ब्याज की दर	उधार/अग्रिम को प्राधिकृत करने वाले आदेश की संख्या और तारीख	पिछले वर्ष में अतिशेष	इस वर्ष मंजूर अग्रिम दी गई रकम		मूल का प्रतिसंदाय: वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय की किस्तों और पूर्विक वर्षों के संबंध में शोध्य किस्तों की बकाया यदि कोई है (सभी को वर्ष वार दर्शित कीजिए)	वर्ष के दौरान प्रतिसंदत्त मूल की रकम	मूल के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम की रकम (स्तंभ 8 स्तंभ 9) (वर्ष वार दर्शित कीजिए)	वर्ष के अंत में उधार/अग्रिम का अतिशेष (स्तंभ 7 स्तंभ 9)	ब्याज का संदाय: पुनर्विलोकन के अधीन वर्ष के लिए और उस तक शोध्य ब्याज की रकम	वर्ष के दौरान प्राप्त और राजस्व में जमा ब्याज की रकम	असंदत्त ब्याज का अतिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

पाद टिप्पण

1— वर्ष के दौरान समायोजित उधार की रकम स्तंभ 6 में भी दर्शित की जाएगी।

2— वर्ष के दौरान व्यतिक्रम किस्तों की बाबत प्राप्त और संदत्त ब्याज [illegible] स्तंभ 13 में [illegible] किस्तों के सामने दर्शित किया जा सकेगा।

प्ररूप 8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

बोर्ड द्वारा प्राप्त उधार/अग्रिमों का विवरण—वित्तीय वर्ष 19---------

[नियम 17 (2) देखिए]

उधार/अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति/संस्थान का नाम	प्राप्त उधार/अग्रिम की रकम	ब्याज की दर	उधार/अग्रिम को प्राधिकृत करने वाले आदेशों की संख्या और तारीख	पिछले वर्ष का अतिशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त रकम	कुल	मूल का संदाय: वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय की किस्तों और पूर्विक वर्षों, यदि कोई हों, से सम्बन्धित शोध्य किस्तों की बकाया (सभी वर्ष वार दर्शित कीजिए)	वर्ष के दौरान प्रतिसंदत्त मूल की रकम	मूल के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम की रकम (स्तंभ 8 स्तंभ 9) (सभी को वर्ष वार दर्शित कीजिए)	वर्ष के अंत में उधार/अग्रिम का अतिशेष (स्तंभ 7 स्तंभ 9)	ब्याज का संदाय: पुनर्विलोकन के अधीन वर्ष के लिए और उस तक शोध्य ब्याज की रकम	वर्ष के दौरान संदत्त और राजस्व में जमा की गई ब्याज की रकम	असंदत्त ब्याज का अतिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

अनुसूची—1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

बजट शीर्ष लेखा शीर्ष

[नियम 28 देखिए]

प्रशासन

लेखा शीर्ष (व्यय)

1. वेतन
2. मजदूरी
3. यात्रा व्यय
4. कार्यालय व्यय
   (क) फर्नीचर
   (ख) डाक महसूल
   (ग) कार्यालय मशीन/उपस्कर
   (घ) वर्दियां
   (ङ) स्वामित्व/भवन संबंधी प्रभार
   (च) दूरभाष
   (छ) विद्युत और जल प्रभार
   (ज) लेखन सामग्री
   (झ) मुद्रण
   (ञ) स्टाफ कार और अन्य यान
   (ट) अन्य मदें।
5. फीस और मानदेय
6. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय
7. किराया, दरें और कर/स्वामित्व
8. प्रकाशन
9. विज्ञापन, विक्रय और प्रचारव्यय
10. उधार/सहायता अनुदान/अभिदाय/सहायिकी
11. आतिथ्य व्यय, सत्कार भत्ता आदि
12. अपलिखित करना/हानियां
13. उचन
14. अन्य प्रभार (अवशिष्ट मदें, इसके अन्तर्गत पुरस्कार और इनाम भी सम्मिलित होंगे)।

लेखा शीर्ष (प्राप्तियां)

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय
2. फीस
3. जुर्माना और अन्य प्राप्तियां

अनुसूची—2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

(नियम 48 देखिए)

वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल 19—— मार्च 19——

1. प्रस्तावना
2. बोर्ड का गठन जिसके अन्तर्गत उसमें किए गए परिवर्तन भी हैं।
3. बोर्ड के अधिवेशन
4. योजना समिति का गठन जिसके अन्तर्गत उसमें किए गए परिवर्तन भी हैं।
5. योजना समिति के अधिवेशन
6. विभिन्न उपक्षेत्रों में क्रियाकलाप के ब्यौरे।
7. धारा 8 के खण्ड (च) के अधीन चुने हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर के नगरीय क्षेत्रों में क्रियाकलाप के ब्यौरे।